फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भंवरसिंह उर्फ भंवरलाल | **विपक्षी :– बाबुलाल**

किस्म मुकदमा – 88,53,188 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 49/17**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 07.09.2022

पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 मय धारा 151 जा.दी. का पेश करने पर तलब की गई। वादी मय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अब बंटवाडे की दाद नहीं चाहकर अन्तिम डिक्री जारी करवा बंटवाडे की कार्यवाही को ड्रोप किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. का अध्ययन किया। प्रकरण में दिनांक 24.11.2017 को वाद आंशिक स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 251 से 255 किता 5 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर कब्जे एवं किस्म, लोकेशन को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अपील प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के यहां की जिसके प्रकरण सं. 09/18 होकर दिनांक 06.11.18 को निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा के निर्णय को यथावत् रखा। जिसके विरूद्व प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 8408/18 पेश की जो दिनांक 07.06.2022 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी हैं। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से बंटवाडे की दाद नहीं चाहकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। चूंकि प्रकरण में पूर्व में वादी को निर्णय अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका हैं। प्रारम्भिक डिक्री में बंटवाडे की दाद होने से अब वादी बंटवाडे की दाद को नहीं चाहकर इस प्रकरण को इसी स्तर पर निर्णित करा मूल वाद में डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादी को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.11.2017 से खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका हैं। चूंकि वादी अब बंटवाडे की दाद नहीं चाहता हैं। अतः बंटवाडे की दाद नहीं चाहने से वाद में बंटवाडे सम्बन्धित अग्रीम कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. मय धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद में बंटवाडे की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप की जाती हैं एवं निर्णय दिनांक 24.11.2017 की पालना में प्रकरण में डिक्री पारित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:22:33 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 49/17 (वाद)

उनवान

1. श्री भंवरसिंह उर्फ भंवरलाल पिता भेरूसिंह गुजर निवासी लदाना हाल 27 वर्मा कॉलोनी सेक्टर नम्बर 9 सविना उदयपुर।

..................वादी

बनाम

1. श्री बाबुलाल पिता जलसिंह गुजर निवासी लदाना हाल स्टेशन चौराहा मावली तह. मावली।
2. श्री कन्हैयालाल पिता जलसिंह गुजर निवासी लदाना हाल स्टेशन चौराहा मावली तह. मावली।
3. श्रीमती जशोदा बेवा जलसिंह गुजर निवासी लदाना हाल स्टेशन चौराहा मावली तह. मावली।
4. श्री भमरू पिता भगवान जाट निवासी लदाना तह. मावली।
5. श्री छोगालाल पिता नवला जाट निवासी बडगांव तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.का. अधिनियम का आपसी राजीनामा एवं निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.11.17 अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 251 से 255 किता 5 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.09.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:22:33 IST
Reason: SelfAttested